FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत —— सहायक कलक्टर मु0 —— मुकाम —— धौलपुर ——

उनवान : अमीरी बनाम इन्द्रेश बगैरा

किस्म मुकद्दमा— 152, सीपीसी — नम्बर ——5/25——सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
20.06.2025	प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस आशय का पेश हुआ कि न्यायालय में उनवानी प्रकरण अमीरी बनाम इन्द्रेश बगैरा अन्तर्गत 53 आरटीए में निर्णय दिनांक 03.12.2024 को उभयपक्ष की सहमति से दावा प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश दिये गये थे। लेकिन निर्णय व डिक्री में सहवन से आराजी खसरा नम्बर 545 के पश्चात् आराजी खसरा नम्बर 546 के स्थान पर 543 अंकित हो गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त टंकण भूल को संशोधित किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अवलोकन व मूलवाद के अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उभयपक्ष की विवादित आराजी खसरा नम्बर 546 के स्थान पर 543 टंकण भूल से अंकित हो गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152, सीपीसी के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटि का सुधार किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रकरण संख्या 62/2024 उनवानी अमीरी बनाम इन्द्रेश बगैरा के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.12..2024 में खसरा नम्बर 543 के स्थान पर 546 का संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे रहे। आदेश सुनाया गया। उपखण्डाधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)	